

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, हत्या की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व में गिरफ्तार 05 अभियुक्तों सहित अब तक कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल 02 अदद बाँस के डण्डे बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5), 191(2), 191(3), 190, 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. सुरेन्द्र यादव 02. योगेन्द्र यादव पुत्रगण स्व0 रामसूरत निवासीगण भगठान (गोसाईपुर), थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 06.10.2026 को गिठनी बाजार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल 02 अदद बाँस के डण्डे बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.09.2026 को वादी रमाकान्त यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव दिनांक 22.09.2026 को घर से गिठनी बाजार जा रहे थे। जैसे ही वह राकेश यादव के घर के सामने पहुँचे, अभियुक्तगण द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को रोककर उनकी आँखों में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी गई, जिससे वह गिर गए। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डण्डा एवं धारदार हथियार से उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुँचे तो ब्रह्मनन्द यादव गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा 112 नम्बर पर सूचना देकर उन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामसूरत निवासी भगठान (गोसाईपुर), थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर।
02. योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामसूरत निवासी भगठान (गोसाईपुर), थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी विवरण-

अभियुक्तगणों की निशानदेही पर 02 अदद बाँस का डण्डा बरामद।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके गाँव के रमाकान्त यादव प्रधान हैं। प्रधान रमाकान्त यादव, उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव एवं श्रीकान्त यादव द्वारा प्रधान बनने के बाद से उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी दी जाती थी तथा परेशान किया जाता था। पूर्व में दिनांक 18.05.2026 को ब्रह्मनन्द यादव द्वारा अपने बाहरी लोगों एवं परिजनों के साथ उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी रंजिश के कारण हम लोग एक साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने तथा आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने की योजना बनाई गई। दिनांक 22.09.2026 को ब्रह्मनन्द यादव को बुलेट से आते देखकर हम लोगो द्वारा उनकी आँखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया गया, जिससे वह गिर गए। इसके बाद हम लोग लाठी-डण्डों से ब्रह्मनन्द यादव के साथ मारपीट की गई तथा राकेश यादव द्वारा अपने घर में रखी लोहे की गैंती से उनके सिर एवं अन्य स्थानों पर वार किया गया। गंभीर चोट लगने के कारण ब्रह्मनन्द यादव जमीन पर गिर गए। हम लोगो को विश्वास हो गया

कि ब्रह्मनन्द यादव की मृत्यु हो गई है। इसके बाद वे अपने घर के पास लाठी-डण्डे लेकर खड़े रहे तथा पुलिस के डर से लुक-छिपकर रह रहे थे, हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जय प्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 अजीत कुशवाहा, का0 प्रदीप कुमार पटेल, का0 रजनीश यादव, का0 मनीष कुमार वर्मा, म0का0 आरजू सिंह एवं म0का0 महिमा यादव।

नोट: उक्त प्रकरण में पूर्व में **05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा चुका है। आज 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रकरण में अब तक कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।**

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को न्यायालय न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय में हदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 09.10.2019 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01. प्रेम मद्देशिया पुत्र रामकरन 02. सुनीता देवी पत्नी प्रेम मद्देशिया 03. कामिनी देवी पुत्री प्रेम मद्देशिया निवासी गण खरवनिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज के संबंध तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री रामरतन वर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 287/2019 धारा 323, 504 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 323, 504 भा0द0वि0 के अपराध में प्रत्येक को दोनो धाराओं में क्रमशः 700-700 रुपये तथा 300-300 रुपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त प्रत्येक को दोनो धाराओं में क्रमशः 01-01 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की तत्परता से गुमशुदा नाबालिग बालक सकुशल बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे गुमशुदा एवं अपहृत बालक-बालिकाओं की बरामदगी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गुमशुदा नाबालिग बालक को सकुशल बरामद किया।

दिनांक 05.10.2026 को समय करीब 20:00 बजे मदरसा दारुल उलूम फैजाने हाफिजी मिल्लत मोहल्ला बिधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मौलाना मुफ्ती अबूबकर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि मदरसे में अध्ययनरत बालक उम्र करीब 14 वर्ष कपड़ा सिलवाने के लिए मदरसे से बाहर निकला था। बाद में नमाज के समय छात्रों की गिनती किए जाने पर बालक के अनुपस्थित होने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य माध्यमों से बालक की तलाश प्रारम्भ की गयी। पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं सक्रियता से लगातार तलाश एवं आवश्यक प्रयास किये गये। पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज दिनांक 06.10.2026 को बालक को मेहदावल बाईपास से सकुशल बरामद कर लिया गया। बालक की सकुशल बरामदगी के उपरान्त प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दुबे द्वारा बालक की आवश्यक काउंसिलिंग की गयी तथा उसके परिजनों को बुलाकर आवश्यक पूछताछ की गयी। समस्त आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के उपरान्त बालक को उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर दिया गया। बालक के सकुशल वापस मिलने पर परिजनों द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं सराहनीय प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा एवं आभार व्यक्त किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे, उ0नि0 श्री अमरनाथ चौकी प्रभारी तितौवा, हे0का0 वीर विक्रम सिंह, का0 अनिल बिन्द्र, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस** द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. गिरजाशंकर पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी ग्राम चमरसन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. इरशाद अहमद पुत्र अब्दुल बहाव निवासी डीघा बाईपास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. जितेन्द्र उर्फ अकेला पुत्र रामनाथ निवासी भुजैनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 मुकेश यादव, का0 अमरेश सिंह, का0 मनीष कुमार वर्मा, का0 सचिन, का0 आलोक पाल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. राममूरत पुत्र अनरसी निवासी पटवरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, का0 शैलेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 256 वाहनों से 3,23,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 256 वाहनों से 3,23,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा साप्ताहिक विशेष चेकिंग अभियान “मीट एण्ड ग्रीट” के तहत वाहनों की सघन चेकिंग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी खलीलबाद श्री परमहंस द्वारा साप्ताहिक विशेष चेकिंग अभियान “मीट एण्ड ग्रीट” (Meet & Greet) चलाकर वाहनों की सघन चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान विशेष रूप से नशे की हालत में वाहन चलाने, मॉडिफाईड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) का न होना, फटी/दोषपूर्ण नम्बर प्लेट तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वाले वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।

चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा अपने वाहन के आवश्यक दस्तावेज एवं नम्बर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु जागरूक किया गया।

अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं आमजन की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाना तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। साथ ही टीम द्वारा वाहन चालकों से संवाद कर यात्रा के दौरान उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी भी ली गई।

यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मृत्यु उपरांत 02 हिस्ट्रीशीटों के हिस्ट्रीशीट खाका नियमानुसार जलाकर नष्ट किए गए

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों की निगरानी एवं आपराधिक अभिलेखों के नियमानुसार रख-रखाव हेतु लगातार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के 02 हिस्ट्रीशीटों की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके हिस्ट्रीशीट खाका को नियमानुसार नष्ट किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के आदेश के क्रम में मृत 01. एचएस नं0 8ए अजीजुल्लाह उर्फ जुल्लाह पुत्र अनीमुल्लाह निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. एचएस नं0 125ए जमील अहमद पुत्र नियाज अंसारी निवासी रामपुर छपिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के हिस्ट्रीशीट खाकों को क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे की उपस्थिति में प्रधान लेखक बृजेश यादव द्वारा थाना प्रांगण स्थित कार्यालय के सामने नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान हिस्ट्रीशीट संबंधी अभिलेखों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। जनपद पुलिस द्वारा आपराधिक अभिलेखों को अद्यतन रखने तथा नियमानुसार अभिलेखीय कार्यवाही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मेंहदावल बाईपास से हटवाया गया अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी खलीलाबाद श्री परमहंस तथा तहसीलदार सदर व नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 06.10.2026 को मेंहदावल बाईपास चौराहे पर सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। अतिक्रमण के कारण आवागमन में उत्पन्न हो रही बाधा को दूर करते हुए सड़क मार्ग को सुचारु एवं व्यवस्थित कराया गया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों/व्यक्तियों को सड़क एवं सार्वजनिक मार्ग पर अनावश्यक रूप से सामान न लगाने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन से अपील की गई कि सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात पुलिस खलीलाबाद द्वारा आमजन को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी खलीलाबाद श्री परमहंस द्वारा सदर अस्पताल से कलेक्ट्रेट मोड़ तक सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजन, वाहन चालकों एवं राहगीरों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, कार में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यातायात संकेतों एवं नियमों का पालन करने के संबंध में जानकारी दी गई। यातायात पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखों का भण्डारण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 271 किलो अवैध पटाखे बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 06.10.2026 को थाना महुली पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर जगदीशपुर गौरा स्थित कांशीराम आवास पर छापा मारा गया। कार्यवाही के दौरान घनी आबादी और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में बिना किसी वैध लाइसेंस के 271 किलो अवैध पटाखों का भण्डारण पाया गया। मौके पर अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं पाए गए, जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना और जनजीवन के अस्त-व्यस्त होने की प्रबल संभावना थी। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से अभियुक्तगण 01. रामचंद्र पुत्र बाबूलाल 02. राहुल पुत्र रामचंद्र निवासीगण जगदीशपुर गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया और कब्जे से कुल 271 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना महुली पर मु0अ0सं0 415/2026 धारा 288 बीएनएस एवं धारा 9(बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

01. रामचंद्र पुत्र बाबूलाल निवासी जगदीशपुर गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
02. राहुल पुत्र रामचंद्र निवासी जगदीशपुर गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

01. विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (कुल वजन 271 किलो)।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 छोटेलाल, का0 विनोद कुमार मौर्या, का0 शशांक सिंह, म0का0 मुस्कान सिंह थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म करने, मारने पीटने व धमकी देने के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 55,500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश डा0 दिव्यानन्द द्विवेदी द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर दुष्कर्म करने, मारने पीटने व धमकी देने के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 55,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा विवरण:-

थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1033A/2009 धारा 376, 323, 506 भादवि के मामले में अभियुक्त नाम पता सुबराती पुत्र बहरैची निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 376, 323, 506 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 376 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भादवि में 06 माह कारावास व 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश डा0 दिव्यानन्द द्विवेदी द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा विवरण:-

थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1033/2009 धारा 307 भादवि के मामले में अभियुक्त नाम पता बजरंगी पुत्र कोईल निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 307 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की कार्रवाई, 62.300 किलोग्राम अवैध पटाखे मा0 न्यायालय के आदेश पर नियमानुसार किए गए नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.10.2026 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दूबे व नायब तहसीलदार खलीलाबाद की उपस्थिति में 62.300 किलोग्राम अवैध पटाखों को नियमानुसार नष्ट किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.09.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बरदहिया बाजार सब्जी मंडी रोड पर चेकिंग के दौरान 07 गत्तों में कुल 62.300 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए थे, जिनकी अनुमानित कीमत एक लाख रुपये से अधिक थी। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 824/2026, धारा 288 बीएनएस एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

कार्रवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण:- नायब तहसीलदार खलीलाबाद, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0मो0 गोविन्द शरण, का0 विनय कुमार, का0 मनीश वर्मा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।